आरक्षण नियमों का कार्यान्वयन

वर्तमान में बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (अद्यतन संशोधित) तथा सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों (यथा-सामान्य, तकनीकी, गैर-तकनीकी, व्यावसायिक आदि) के नामांकन के लिए आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16, 2003) एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 56 (4) के अनुपालन में पटना विश्वविद्यालय की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं नामांकन में शत्-प्रतिशत् आरक्षण लागू है।

सितम्बर, 2002 में राज्य सरकार ने बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बँटवारे के बाद विभिन्न कोटियों के आरक्षण के प्रतिशत में संशोधन किया जिसे पटना विश्वविद्यालय ने अपने अधिसूचना ज्ञापांक 1533 दिनांक 19/09/2002 द्वारा विश्वविद्यालय में लागू कर दिया। इसी अधिसूचना में विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया गया है कि नामांकन में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय, विभाग, संस्थान की नामांकन समिति के सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ी जाति तथा पिछड़ी जाति के शिक्षक को सदस्य बनाना अनिवार्य है। सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों, यथा-सामान्य, तकनीकी, गैर तकनीकी, व्यावसायिक आदि में नामांकन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम 16, 2003) को पटना विश्वविद्यालय के ज्ञापांक एकेड-2152 दिनांक 28/09/2007 द्वारा लागू कर दिया गया है।

भारत की संसद द्वारा पारित The persons with disabilities (Equal Opportunities of Rights and Full participation Act), 1995 के प्रावधानों के आलोक में नामांकन एवं नियुक्ति और प्रोन्नति में नेत्रहीन, बधिर एवं शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए एक-एक प्रतिशत् (कुल तीन प्रतिशत) आरक्षण की अधिसूचना विश्वविद्यालय ने जनवरी, 2003 में निर्गत की है। इस विषयक राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक दिनांक 11/आ. 4 आ.नि.-03/2000 का.-62 पटना, दिनांक 05/01/2007 को पटना विश्वविद्यालय ने अपने ज्ञापांक एकेड-584 दिनांक 26/02/2007 द्वारा अक्षरशः लागू कर दिया है। वैसे विकलांग व्यक्ति जो अपनी विकलांगता के कारण लिख नहीं सकते हैं, को अनुलेखक की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्य आयुक्त, भारत सरकार के निर्णय संख्या 2477 दिनांक 15/05/2007 को पटना विश्वविद्यालय ने अपने ज्ञापांक एकेड-1635 दिनांक 13/07/2007 द्वारा संसूचित कर दिया है। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों हेतु उपयुक्तता मानदण्डों में छूट संबंधी स्पष्टीकरण विषयक प्राप्त राज्य सरकार के पत्रांक 11/आ. 4-आ. वी. 02/2000 6704 दिनांक 01/10/08 विश्वविद्यालय पत्रांक Acad 1145 दिनांक 08/12/08 द्वारा संसूचित कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम.1-42/2019-1370, पटना दिनांक 28/06/2019 का पालन किया जा रहा है ।

रोस्टर पंजी को भी इकाईवार तथा कोटिवार संधारित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के अधीन बैक लॉग (अग्रीत) रिक्तियों को भरने हेतु राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न इकाइयों से प्राप्त रिक्तियों (शिक्षकों, पदाधिकारियों, तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय) पर नियुक्ति हेतु पदों को विज्ञापित करने हेतु संख्या निर्धारित कर ली गयी है । शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण रोस्टर नियमों के अनुरूप बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को विज्ञापित करने हेतु पदों की संख्या प्रेषित कर दिया गया है । आयोग द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित रिक्तियों के विरूद्ध पदों को विज्ञापित किया जा चुका है ।

शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण रोस्टर नियमों के अनुरूप जनवरी 2015 से दिसम्बर 2019 तक रिक्त पदों का विवरणी तैयार कर लि गई है। साथ ही पदाधिकारीयों, तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों पर आरक्षण रोस्टर का कार्य जारी है।

अतिथि शिक्षकों के पैनल निर्माण में भी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया गया है।

❖❖❖

आरक्षण नियम

(1) नामांकन में आरक्षण बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित तथा वर्तमान में लागू आरक्षण नियमों के अनुरूप किया जाता है।

(2) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम सं० 16, 2003) का अनुपालन किया जा रहा है।

(3) बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 1237 दिनांक 12.06.2019 के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को देय 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य है जो कि horizontal reservation है न कि vertical reservation. इस आरक्षण का भी अनुपालन किया जा रहा है।

(5) नामांकन हेतु आरक्षित श्रेणी के सीटों को अनारक्षित करने के संबंध में आरक्षण अधिनियम 2003 में विहित प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है ।

❖❖❖